तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से राजस्व (ग्रुप–7) विभाग, जयपुर की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियायें (S.O.P.) दिनांक 08.02.2024 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में 10 वर्ष और अधिक पुराने प्रकरणों के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों पर बहस पूर्ण किये जाने हेतु उभयपक्ष अभिभाषकगणों को निर्देशित किया गया। बावजूद इसके बहस पूर्ण नहीं किये जाने पर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA में प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम हीरापुर की आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 0.64 हैक्टर प्रार्थी के खाते की पुश्तैनी आराजी है। प्रथम सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त आराजी के खसरा नम्बर 713/121, 23, व 124 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा थे, जिसके नये नम्बर 189 व 194 बनाये गये किन्तु खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा ही प्रार्थी के खाते दर्ज किया गया, जिसके हाल सेटलमेन्ट बाद नये खसरा नम्बर 390 रकबा 0.64 हैक्टर कायम किये जबकि गत रकबा के अनुसार प्रार्थी 1.22 हैक्टर आराजी अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। गत सेटलमेन्ट में बने खसरा नम्बर 194 से नया खसरा नम्बर 395 रकबा 0.48 हैक्टर कायम किया जाकर अप्रार्थी क्रम–1 लगायत 6 के खाते दर्ज कर दिया। सेटलमेन्ट को इस प्रकार रिकार्ड व रकबे में रद्दोबदल करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उक्त कार्यवाही शुरू से ही प्रभावशून्य है। प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों व अप्रार्थीगण से दुरूस्ती करने का निवेदन किया तो वे टालटूल करते रहे और अप्रार्थी क्रम–1 ता 6 ने तो उनके खाते गलत इन्द्राज से दर्ज 0.48 हैक्टर आराजी को बेचान की बात की और लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये जबकि प्रार्थी आज भी पूर्व की ही भांति रकबा 1.22 हैक्टर पर काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट की त्रुटि से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज खसरा नम्बर 395 रकबा 0.48 हैक्टर को उनके द्वारा बेचान आदि करके खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि प्रतिपक्षी क्रम–1 ता 6 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर खसरा नम्बर 395 की 0.48 हैक्टर आराजी या उसके किसी भी भाग को विक्रय, खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित नहीं करें। उक्त आराजी पर प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। हमने धारा 212 RTA के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा की प्राप्ति के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :– (क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ? (ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ? (ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ? **उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है।** प्रार्थी की ओर से मूल दावे के साथ पेश यह प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2010 को दर्ज होकर आदिनांक तक विचाराधीन है। इसे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय में विचाराधीन रहते 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। प्रार्थी, अभी तक समस्त अप्रार्थीगण की तलवी भी नहीं कराई है जिससे यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। विवादित आराजी पर प्रार्थी पूर्वानुसार ही काबिज काश्त होने से प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रकरण में उठाये गये मुद्दे (विवाद) का निस्तारण मूल वाद प्रकरण में कायम की जाने वाली तनकीयात पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर ही तय किये जायेगें। विवादित आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा खुर्द बुर्द किये जाने का कोई उल्लेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होना संभावित नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार निर्धारित शर्तो में से किसी एक शर्त की पालना के अभाव में भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न तो प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रकरण में प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होना भी संभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	